

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-29वीं अप्रैल 2022

सेवा में,

SAURAV AGRAWAL,
AT-DSP ROAD MURLI BAGHICHA GUMLA

विषय:- मौजा-Pugu, प्लाट नं0-31P & 32, खाता संख्या-89, वार्ड नं0-N/A, थाना नं0-66, थाना-गुमला, जिला-गुमला में प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गुमला से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराई गई। उन्होंने अपने ज्ञापांक-121 दिनांक-25.04.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त फ़ैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित फ़ैक्ट्री परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन में 150mm डायामेटर वाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं दो-दो अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. फ़ैक्ट्री भवन के अग्नि व्यवस्था के लिए कम से कम 3 Kg/Centimeter square के दाब पर हर जगह जलापूर्ति उपलब्ध रहे। इसके लिए पम्प की व्यवस्था की जाय।
5. फ़ैक्ट्री भवन के सभी गोदाम को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
6. फ़ैक्ट्री भवन में अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प रूम का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1620 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. फ़ैक्ट्री भवन के कार्यालय को Smoke Detector एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
8. फ़ैक्ट्री भवन में 09 लीटर क्षमता वाला Foam Type अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
9. फ़ैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
10. फ़ैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 4.5Kg क्षमता वाले एक-एक अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड/पैनल/ट्रान्सफ़ॉर्मर को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय एवं मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. फ़ैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
13. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 4.5के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. फ़ैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भण्डारण परिसर में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।

15. फ़ैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
16. फ़ैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फ़ैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है
17. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
18. निर्मित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि **Plan** अथवा **Nature Of Occupancy** में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके **Clearance** अवश्य प्राप्त करेंगे।
19. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।